

न्यायालय अन्तर्गत उपसमाहर्ता भूमि सुधार, साहेबगंज।

लगान निर्धारण वाद सं०-०६/२०१६-१७
हीरा लाल पंडित वगै०-बनाम-१६ आना रैयत,
मौजा-पुराना साहेबगंज।

आवेदकगण

1. हीरा लाल पंडित, पिता-स्व० हरगोविन्द पंडित
2. रामलाल पंडित, 3. बाबुलाल पंडित,
दोनों पिता-स्व० हरगोविन्द पंडित,
3. गणौरी पंडित, पिता-स्व० मटरू पंडित एवं
4. सागर पंडित, पिता-हरि पंडित,
सभी सा०-पुराना साहेबगंज।
नगरपालिका होल्डिंग नं०-१८६,
पो०+थाना-साहेबगंज
जिला-साहेबगंज, झारखण्ड।

विपक्षी

१६/आना रैयत,
मौजा- पुरानी साहेबगंज।

—: आदेश :-

उक्त अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, सोहबगंज के पत्रांक-३३६/डी०बी०, दिनांक-०१.०३.२०१६ द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त वाद की कार्यवाई आवेदकगण के द्वारा दाखिल लगान निर्धारण के आलोक में दिनांक-१२.०१.२०१७ को उपसमाहर्ता भूमि सुधार, साहेबगंज के द्वारा प्रारंभ किया गया।

आवेदकगण द्वारा दाखिल आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा-पुराना साहेबगंज (असर्वेक्षित), वार्ड नं०-२४, अंचल-साहेबगंज, जिला-साहेबगंज के अन्तर्गत सुखवासी जमीन होल्डिंग नं०-१८६, कुल रकवा-००-०३-१५ धूर जमीन पर घर बनाकर आवेदकगण सपरिवार निवास करते हुए आ रहे हैं। जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है:-उत्तर- गिवेणी चौधरी, दक्षिण:-नगरपालिका सड़क, पूरब:-विद्यासागर चौधरी, पिता-रामसागर चौधरी, पश्चिम:- बेलाल पंडित है। उक्त जमीन का आवेदकगण के द्वारा लगान निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति हेतु आवेदन की प्रति अंचल अधिकारी, साहेबगंज को अनुमंडल के पत्रांक-१६५/डी०बी०, दिनांक-१८.०७.२०१२ को भेजी गयी।

अंचल अधिकारी, साहेबगंज का पत्रांक-६८७/रा०, दिनांक-०१.०९.२०१२ के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा स्थल जाँच किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि आवेदकगण १. हीरा लाल पंडित, पिता-स्व० हरगोविन्द पंडित, २. रामलाल पंडित, ३. बाबुलाल पंडित, दोनों पिता-स्व० हरगोविन्द पंडित, ४. गणौरी पंडित, पिता-स्व० मटरू पंडित, ५. सागर पंडित, पिता-स्व० हरि पंडित, सभी सा०-पुरानी सोहबगंज, वार्ड नं०-२४ के हैं। मौजा-पुराना साहेबगंज असर्वेक्षित मौजा है। जिसका खतियान उपलब्ध नहीं है। खतियान के अभाव में गैरमजरूआ आम, खास, भूमि चिन्हित नहीं है। स्थल निरीक्षण पर पाया कि आवेदकगण मौजा-पुराना साहेबगंज के बेलगानी सुखवासी जमीन ००-०३-०५ धूर जमीन पर मिट्टी, टाली का मकान बनाकर सपरिवार कई पुस्तों से निवास करते हैं। जमीन्दार के समय में जमींदार लोग अपने जमींदारी में ब्रह्मण, नाई, कुम्हार, लोहार, मोची, कोम, चमार जाति के लोगों को बेलगानी भूमि पर बसाते थे एवं ऐसी भूमि को सुखवासी भूमि कहा जाता है। आवेदकगण जाति के कुम्हार हैं एवं भूमिहीन की श्रेणीय में आते हैं। उल्लेखित जमीन की चौहद्दी निम्न प्रकार है- उत्तर-गिवेणी चौधरी, दक्षिण:-नगरपालिका सड़क, पूरब:-विद्यासागर चौधरी, पश्चिम :-बेलाल पंडित है। इसी चौहद्दी के अन्तर्गत आवेदकगण का आवेदित जमीन अवस्थित है।

आवेदकगण के आवेदित जमीन मौजा-पुरानी साहेबगंज के बेलगानी भूमि रकबा-00-03-05 धूर जमीन का लगभग 16.00 रुपये निर्धारण हेतु अग्रसारित किया जा सकता है। हल्का कर्मचारी-सह-अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, साहेबगंज के द्वारा मूल में भेजी गयी है।

अंचल अधिकारी, साहेबगंज के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर 16/आना रैयत को आपत्ति आमंत्रण नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। 16/आना रैयत की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति दाखिल नहीं की गई है।

आवेदित भूमि असर्वेक्षित है। उक्त मौजा का वर्तमान में सर्वे से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है। दाग की विवरणी व नक्सा उपलब्ध नहीं होने के कारण भूमि का चिन्हित किया जाना संभव नहीं है।

अतः आवेदक अपेक्षित कागजात व साक्ष्य के साथ बन्दोवस्त कार्यालय में अपना दावा व पक्ष रखना सुनिश्चित करें। लगान निर्धारण के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपसमाहर्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

उपसमाहर्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।